



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265111
CG-DL-E-30072025-265111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3447]
No. 3447]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

एच एसिड(गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025

का.आ. 3530(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ- (1) इस आदेश का नाम एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. एच एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, में पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 13 मई, 2026 से प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. सी-II-18012/11/2024-रसायन II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4925(अ), तारीख 14 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2144(अ), तारीख 14 मई, 2025 द्वारा संशोधन हुआ था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2025

H Acid (Quality Control) Second Amendment Order, 2025

S.O. 3530(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the H Acid (Quality Control) Order, 2024, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the H Acid (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the H Acid (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the 13th day of May, 2026.”

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2024, vide number S.O. 4925(E), dated the 14th November, 2024 and subsequently amended vide notification number S.O. 2144(E), dated the 14th May, 2025.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025

विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025

का.आ. 3531(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्

- 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ—** (1) इस आदेश का नाम विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 2025 है।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. विनाइल सल्फोन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024, में पैरा 1 के, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:**

“(2) यह आदेश 13 मई, 2026 से प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. सी-II-18012/11/2024-रसायन II-सीपीसी]

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4927(अ), तारीख 14 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2146(अ), तारीख 14 मई, 2025 द्वारा संशोधन हुआ था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2025

Vinyl Sulphone (Quality Control) Second Amendment Order, 2025

S.O. 3531(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Vinyl Sulphone (Quality Control) Order, 2024, namely:-

- 1. Short title and commencement.—** (1) This Order may be called the Vinyl Sulphone (Quality Control) Second Amendment Order, 2025.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Vinyl Sulphone (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-**
“(2) This order shall come into force on the 13th day of May, 2026.”

[F. No. C-II-18012/11/2024-Chem.II-CPC]

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2024, vide number S.O. 4927(E), dated the 14th November, 2024 and subsequently amended vide notification number S.O. 2146(E), dated the 14th May, 2025.